

# U.P. POWER CORPORATION LTD.

## उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत प्रशिक्षण संस्थान  
(केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त)  
सरोजनी नगर, लखनऊ।  
दूरभाष : 0522-2476347, 2476254 (फैक्स)  
ई-मेल : etiuppcl@rediffmail.com



Electricity Training Institute  
(Recognized by Central Electricity Authority)  
Sarojini Nagar, Lucknow  
Ph.: 0522-2476347, 2476254 (Fax)  
E-mail : etiuppcl@rediffmail.com

पत्रांक 620 / वि०प्र०सं० / व्यवसायिक परीक्षा-05 / 17

दिनांक 25/17

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,

उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, उ०प्र०ज०वि०नि०लि०, लखनऊ

प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०,

पूर्वांचल, वाराणसी / पश्चिमांचल, मेरठ / मध्यांचल, लखनऊ / दक्षिणांचल, आगरा / केस्को, कानपुर

निदेशक (का०प्रब०एवं प्रशा०), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

निदेशक (का०प्रब०एवं प्रशा०), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ

निदेशक (आपरेसन), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ

### विषय : अभियन्ता अधिकारियों (विद्युत एवं यांत्रिकी/जानपद संवर्ग) की व्यवसायिक परीक्षा भाग-1 व 2

महोदय,

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2025-अ०प्र०-07 / पाकालि / 16-34-अ०प्र०-07 / 94, दिनांक 02.05.2016 के द्वारा विद्युत एवं यांत्रिकी संवर्ग एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 2026-अ०प्र०-07 / पाकालि / 15-35-अ०प्र०-07 / 94, दिनांक 02.05.2016 के द्वारा जानपद संवर्ग के अभियन्ता अधिकारियों की व्यवसायिक परीक्षा भाग-1 व 2 आयोजित करने हेतु समिति का गठन किया गया है।

- (1) समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वर्ष 2017 की प्रथम छमाही में व्यवसायिक परीक्षा दिनांक 20.05.2017 को निम्नवत् सम्पन्न किया जाना निर्धारित है :-

| क्रमांक | कार्यक्रम                      | समय                       |
|---------|--------------------------------|---------------------------|
| 1.      | तकनीकी प्रश्न-पत्र (भाग-1 व 2) | 10:00 बजे से 13:00 बजे तक |
| 2.      | लेखा प्रश्न-पत्र (भाग-1)       | 14:00 बजे से 17:00 बजे तक |
| 3.      | मौखिक परीक्षा (भाग-2)          | 14:00 बजे से              |
| 4.      | मौखिक परीक्षा (भाग-1)          | 17:00 बजे से              |

- (2) व्यवसायिक परीक्षा भाग-1 एवं 2 का आयोजन निम्न केन्द्रों पर किया जायेगा :-

- (1) विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ
- (2) कार्यालय प्रबन्ध निदेशक (पूर्वांचल), विद्युत वितरण निगम लि०, महुआडीह, वाराणसी
- (3) कार्यालय प्रबन्ध निदेशक (पश्चिमांचल), विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ

- (3) परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक अभियन्ता अधिकारी दिये गये प्रार्थना-पत्र एवं संलग्न प्रमाण-पत्रों (अनुलग्नक-2/3) को भरकर तथा अपने नियन्त्रक अधिकारी से अग्रसारित कराकर निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ के पास दिनांक 15.05.2017 तक अवश्य भिजवा दें तथा उसकी प्रति, जिस केन्द्र में व्यवसायिक परीक्षा दी जानी है, वहाँ के प्रबन्ध निदेशक/महाप्रबन्धक/ निदेशक को पृष्ठांकित की जानी होगी। अग्रसारित आवेदन-पत्र की संलग्नकों सहित व्यक्तिगत प्रति, परीक्षा केन्द्र पर साथ लाना आवश्यक है।

- (4) व्यवसायिक परीक्षा भाग-1 में सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) सम्मिलित नहीं हो सकते हैं।

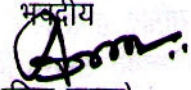
- (5) इस परीक्षा में उ०प्र०पा०का०लि० में आमेहित अभियन्ता अधिकारी ही सम्मिलित हो सकते हैं।

- (6) व्यवसायिक परीक्षा भाग-2 में वही अभियन्ता भाग ले सकते हैं जिनका दिनांक 15.05.2017 तक सहायक अभियन्ता के पद पर 8 (आठ) वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका हो।
- (7) व्यवसायिक परीक्षा भाग-1 में एक तकनीकी व एक लेखा प्रश्न-पत्र होगा तथा भाग-2 में केवल एक तकनीकी प्रश्न-पत्र होगा।
- (8) प्रत्येक लिखित प्रश्न-पत्र हेतु अधिकतम 100 अंक तथा मौखिक परीक्षा हेतु अधिकतम 30 अंक निर्धारित किये गये हैं।
- (9) परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु प्रत्येक लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40 अंक तथा मौखिक परीक्षा में न्यूनतम 15 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अभियन्ता अधिकारियों में व्यापक प्रसार इस प्रकार करें कि परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक अभियन्ताओं के प्रार्थना-पत्र निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र०पा०का०लि०, सरोजनी नगर, लखनऊ-226008 को विलम्बतम दिनांक 15.05.2017 तक अवश्य प्राप्त हो जाय अथवा विद्युत प्रशिक्षण संस्थान की ई-मेल पर भी भेज सकते हैं परन्तु उपरोक्त पते पर मूल रूप में प्रार्थना-पत्र भेजना/परीक्षा के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिनके प्रार्थना-पत्र उक्त तिथि तक विद्युत प्रशिक्षण संस्थान में प्राप्त नहीं हो पाते हैं उन्हें सम्बन्धित केन्द्र की परीक्षा समिति के अध्यक्ष के समक्ष परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व अपना प्रार्थना-पत्र सम्पूर्ण प्रमाण-पत्रों सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

व्यवसायिक परीक्षा भाग-1 हेतु दो प्रमाण-पत्र (अनुलग्नक-2) एवं खण्डीय लेखाकार के हस्ताक्षरयुक्त (अनुलग्नक-3) तथा व्यवसायिक परीक्षा भाग-2 हेतु केवल एक प्रमाण-पत्र (अनुलग्नक-2) प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

संलग्नक : प्रार्थना-पत्र का प्रारूप

भवदीय  
  
(अनिल कुमार)  
निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान  
एवं सदस्य व्यवसायिक परीक्षा

पत्रांक : /वि०प्र०सं०/व्यावसायिक परीक्षा/तददिनांक  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) विद्युत पारेषण मंडलों में कार्यरत अधीक्षण अभियन्ता।
- (2) विद्युत वितरण मंडलों/कार्य मंडलों/भण्डार मंडलों में कार्यरत अधीक्षण अभियन्ता।
- (3) अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या 407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि० की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।

(अनिल कुमार)  
निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान  
एवं सदस्य व्यवसायिक परीक्षा

व्यावसायिक भाग-1/2 परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रार्थना-पत्र का प्रारूप

1. नाम :.....
2. पिता का नाम :.....
3. जन्म तिथि :.....
4. अभिज्ञान संख्या :.....
5. सम्प्रेक्षा संख्या :.....
6. योग्यता :.....
- (अ) शैक्षिक :.....
- (ब) तकनीकी :.....
7. नियुक्ति का वर्ष :.....
8. सहा०अभि० पद पर नियुक्ति तिथि :.....
9. वर्तमान पद :.....
10. वर्तमान नियुक्ति स्थल एवं व्यक्तिगत :.....
- मोबाइल नं० (पूरे पते सहित) :.....
11. व्यावसायिक परीक्षा भाग-1 में उत्तीर्ण होने का वर्ष :.....
12. परीक्षा केन्द्र जहाँ व्यावसायिक परीक्षा में सम्मिलित होंगे। :.....
13. कोई अन्य सूचना :.....

**विशेष ध्यान दें :-**

व्यावसायिक परीक्षा भाग-1 हेतु अनुलग्नक-2 तथा 3 (खण्डीय लेखाकार एवं अधिशासी अभियन्ता के हस्ताक्षर सहित) के अनुसार प्रमाण-पत्र एवं व्यावसायिक परीक्षा भाग-2 हेतु केवल अनुलग्नक-2 में वर्णित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है

हस्ताक्षर.....  
नाम.....  
पद.....  
पता.....

टिप्पणी

परीक्षा केन्द्र :-

- (1) लखनऊ : समस्त अधिकारी जो मध्यांचल/शक्ति भवन, लखनऊ/केस्को, कानपुर/पारेषण(मध्य) के कार्य क्षेत्र में तैनात हैं
- (2) वाराणसी: समस्त अधिकारी जो पूर्वा०वि०वि०नि०लि०, वाराणसी/मुख्य अभियन्ता, पारेषण(पूर्व) के कार्य क्षेत्र में तैनात हैं।
- (3) मेरठ : समस्त अधिकारी जो पश्चि०वि०वि०नि०लि०, मेरठ/दक्षि०वि०वि०नि०लि०, आगरा/मुख्य अभियन्ता, पारेषण(पश्चिम) एवं पारेषण(दक्षिण) के कार्य क्षेत्र में तैनात हैं।

व्यावसायिक परीक्षा भाग-1 व 2 के लिये योग्यता का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि.....अधिकांशी  
अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/उपखण्ड अधिकारी शारीरिक रूप से स्वस्थ है तथा तकनीकी कार्य  
में निपुण हैं तथा अपने अधीनस्थों पर समुचित नियन्त्रण रखने में सक्षम है।

अधीक्षण अभियन्ता/अधिकांशी अभियन्ता  
(कार्यालय मुहर)

लेखाकार्य की निपुणता का प्रमाण-पत्र (केवल व्यावसायिक परीक्षा भाग-1 के लिये)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....अधिकांशी  
अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/उपखण्ड अधिकारी ने दो माह का प्रशिक्षण लेखाकार्य में प्राप्त किया  
है तथा उन्होंने व्यावसायिक परीक्षा भाग-1 के लिये हाइडिल मैनुअल आर्डर के अनुसार आवश्यक  
लेखाकार्यों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

खण्डीय लेखाकार

अधिकांशी अभियन्ता  
(कार्यालय मुहर)